

16-9-25

10.9.25

पतावली में दो बकील डायरी अर्थात्
बकील डायरी को बाद लाना दिनांक
ले 12 तारीख तक निकाल जाने पर
कुछायेगणने की तारीख निकालने के उपरान्त
भी नहीं कराई जा रही है जो न्यायालय
के अधिकारों की अवहेलना की श्रेणी में
गिना है।

अतः बाद लाने के लिए
खारिज किया जाता है पतावली बकील
ले कर्य हो बाद तकमें पतावली
निकाल लाना है।

उपसुण्ड अधिकारी

अलवर

उपसुण्ड अधिकारी

ना

दुपय या कार

उपसुण्ड अधिकारी
अलवर

उपसुण्ड अधिकारी
अलवर